पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग–5

शुक्रवार, तिथि 24 फाल्गुन, 1934 (श0)
15 मार्च, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1)	ऊर्जा विभाग	.. ..	01
(2)	स्वास्थ्य विभाग	.. ..	01
		कुल योग -	02

पद पर रखने का औचित्य

38. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार—क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बी0एच0पी0सी0 के वर्तमान प्रबंध निदेशक के विरुद्ध दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सी0बी0आई0 जम्मु एवं काश्मीर, जम्मु ने राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में आई0पी0सी0 की धारा 120बी/420/420–ए, आर/डब्ल्यू सेक्शन 5(2), आर/डब्ल्यू सेक्शन 5(1) (ए) ऑफ जे0 एण्ड0 के0 प्रीवेंशन ऑफ क्रप्शन ऐक्ट के तहत आरोप गठित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी पटना के न्यायालय में परिवार सं0 2635 (सी) 12, दायर किया गया है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 467, 469, 471, 120 (बी), 500 के तहत संज्ञान लिया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो ऐसे पदाधिकारी को प्रबंध निदेशक, बी0एच0पी0सी0 के पद पर रखने का क्या औचित्य है ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

39. श्री संजय सरावगी—स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार–पत्र में दिनांक 10 फरवरी, 2013 को प्रकाशित शीर्षक "प्रदूषण बोर्ड ने डी0एम0सी0एच0 पर किया मुकदमा" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बायोबेस्ट मैटेरियल को नष्ट करने के लिए डी0एम0सी0एच0 दरभंगा ने वित्तीय वर्ष 2006–07 में 80 लाख रुपये की लागत से दो इन्सिनिरेटर मशीन की खरीद की एवं उसकी रख–रखाव की व्यवस्था की गयी परन्तु खरीदे गये मशीन का उपयोग सात वर्षों में सात दिन भी नहीं हुआ ;

(2) क्या यह बात सही है कि बायो मेडिकल कचरे को सही ढंग से नहीं निपटाने के कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डी0एम0सी0एच0, दरभंगा पर 4 फरवरी, 2013 को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के न्यायालय में मुकदमा दायर किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बड़ी राशि से खरीदी गई मशीन के उपयोग नहीं किये जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 15 मार्च, 2013 (ई0)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 258डी0टी0पी0–450